कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0.एल0ए0 / एस0एस0–1 / श0स्था0नि0 / **दिनांक–**

सेवा में,

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत बेलसंड
जिला– सीतामढी

महाशय,

नगर पंचायत, बेलसंड के वर्ष 2008–09 से 2013–14 के लेखाओं पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0 338 / 15–16 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर पंचायत बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया / करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं / विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नकः यथोपरि

भवदीय,

ह0

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

सं0–एल0ए0 / एस.एस.–1 / श0स्था0नि0 / 1451-67 **दिनांक–** 11/08/15

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, सीतामढी

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

नगर पंचायत बेलसंड(सीतामढी)
निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या–338/15--16
(अवधि–2008–09 से 2013–14)

भाग-I

प्रस्तावना

(i)	कार्यालय का नाम	नगर पंचायत बेलसंड
(ii)	निरीक्षण का वर्ष	वित्तीय वर्ष 2008–09 से 2013–14
(iii)	लेखापरीक्षा की अवधि	16.03.2015 से 23.03.2015
(iv)	लेखापरीक्षा दल के सदस्य	• विश्वपति सिंह, स0ले0प0अ0 • ललन कुमार सिंह, ले0प0 • चन्दन पासवान, ले0प0
(v)	निरीक्षण पदाधिकारी का नाम	श्री शम्भु प्रसाद गुप्ता, व0ले0प0अ0
(vi)	क्या कार्यालय प्रधान के साथ आपत्तियों पर विचार–विमर्श किया गया?	हाँ, दिनांक 23.03.15 को लेखा परीक्षा के दौरान उठाई गई आपत्तियों पर चर्चा की गई।

(vii) प्रशासन

- **कार्यपालक पदाधिकारी**

क्रम स0	नाम	अवधि
1.	श्री अशोक कुमार पाल	01.04.08 से 31.03.09
2.	श्री राजकुमार	01.04.09 से 21.10.09
3.	श्री सुनील कुमार झा	22.10.09 से 31.08.10
4.	श्री श्यामसुंदर नागदंश	01.09.10 से 11.05.11
5.	श्री रजनीश कुमार	12.05.11 से 30.07.11
6.	श्री भरत भूषण गुप्ता	31.07.11 से 17.04.12
7.	श्री कृष्ण कुमार सिंह	18.04.12 से 27.07.12
8.	श्री दिलीप कुमार सिंह	28.07.12 से 31.03.14

- **अध्यक्ष**

क्रम स0	नाम	अवधि
1.	श्री रामचंद्र साहनी	11.07.07 से 28.08.08
2.	श्री सुरेश साह	29.08.08 से 08.06.09
3.	श्री बृजनंदन प्रसाद	09.06.09 से 16.06.12
4.	श्री नागेन्द्र झां	17.06.12 से 31.03.14

- **उपाध्यक्ष**

क्रम स0	नाम	अवधि
1.	श्री सुरेश साह	11.07.07 से 16.06.12
2.	श्री रणधीर कुमार	17.06.12 से 31.03.14

(viii) लेखापरीक्षा का परिक्षेत्र

लेखापरीक्षा में उपलब्ध कराये गये एवं नमूना लेखापरीक्षा की गई अभिलेखों की सूची परिशिष्ट–I में तथा अनुपलब्ध एवं असंधारित अभिलेखों की सूची परिशिष्ट–II में दी गई है।

(ix) पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा का अनुपालन प्रतिवेदन

कई मौखिक एवं लिखित अनुरोधों के बावजूद अंकेक्षण अवधि में पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः लंबित कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन यथाशीघ्र तैयार किया जाए एवं इसे अगले अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

(x) आंतरिक लेखा परीक्षा

बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली 1928 के नियम 30 व कई अन्य नियमों के अनुसार सक्षम अधिकारियों द्वारा आंतरिक लेखा परीक्षा करने की व्यवस्था करने का प्रावधान है, जिससे लेखाओं के संधारण में त्रुटियों/अनियमितताओं से बचा जा सके।

परंतु नगर पंचायत बेलसंड द्वारा ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया, जिसके कारण लेखाओं के संधारण में तथा कार्यप्रणाली में त्रुटियाँ पाई गई जिसका वर्णन आगे की कंडिकाओं में किया गया है।

(xi) वित्तीय अधिदृश्य

नगर पंचायत बेलसंड(सीतातढी), केन्द्र और राज्य सरकार से प्राप्त अनुदानों एवं स्वयं के स्रोतों से वित्त पोषित है जिसके आधार पर पी0एल0 खाता के रोकड़ बही सहित विभिन्न योजनाओं हेतु अन्य रोकड़ बहियों का संधारण किया जा रहा है जिसका आय–व्यय का विवरणी निम्न है:–

वित्तीय वर्ष	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 Till 20.09.11	2011-12** From21.09.11	2012-13	2013-14
प्रारंभिक शेष	12527567.23	9669424.23	8364372.23	10075173.98	11870836.98	11231258.98	6273860.98
प्राप्ति	2737428.00	4220258.00	2326132.75	2614751.00	1658553.00	14627887.00	104264302.00
कुल उपलब्ध राशि	15264995.23	13889682.23	10690504.98	12689924.98	13529389.98	25859145.98	110538162.98
कुल व्यय	5595571.00	5525310.00	615331.00	819088.00	2298131.00	19585285.00	24427939.00
अंतशेष	9669424.23	8364372.23	10075173.98	11870836.98	11231258.98	6273860.98	86110223.98

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट IX पर संलग्न)

** 2011-12 (From 21.09.2011) वाले स्तम्भ में प्रारंभिक शेष के रूप में जो राशि ₹11870836.98 ली गई है उसमें सामान्य रोकड़ बही की राशि ₹11767744.48 और राजस्व रोकड़ बही की राशि ₹103092.50 है और 2013–14 तक दोनों संयुक्त रूप से है।

(xii) लेखापरीक्षा का परिणाम

1. अंकेक्षण के दौरान वसूली गयी राशि :– शून्य
2. अंकेक्षण के दौरान वसूली हेतु सुझायी गयी राशि. :– 958008.00
3. अंकेक्षण आपति के अधीन रखी गयी राशि.:– 14422006.00

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट X पर संलग्न)

भाग – II (क) शून्य

भाग – II (ख)

कंड़िका संख्याः– 1–व्हील बेस डस्टबीन के खरीद में अनियमितता (₹29.62 लाख)

बेलसंड़ नगर पंचायत में सशक्त स्थायी समिति की बैठक दिनांक 27.1.14 के प्रस्ताव संख्या 01 में तेरहवीं वित्त आयोग एवं असंबद्ध अनुदान से 240 लीटर का 200 पीस कूड़ादान खरीदने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् स्थानीय समाचार पत्र दैनिक जागरण में दिनांक 18.2.14 को निविदा सं0 03/13–14 द्वारा कूड़ादान खरीदने के लिए निविदा प्रकाशित की गयी। निविदा के आलोक में तीन निविदादाताओं ने निविदा डाली। दिनांक 22.2.14 को तुलनात्मक विवरणी के आधार पर निम्न निविदादाता रीता श्री इन्टरप्राईजेज पटना का चयन किया गया एवं पत्रांक सं0 54/22.2.14 द्वारा आपूर्ति आदेश निर्गत किया गया। चयनित आपूर्तिकर्ता द्वारा 200 पीस व्हील बेस डस्टबीन की आपूर्ति तिथि 27.2.14 को की गयी। आपूर्ति के आलोक में राशि ₹3230000/– का भुगतान किया गया।

विवरणी इस प्रकार है।

क्रम सं0	चेक सं0	तिथि	राशि	संख्या	अभिश्रव सं0
1	064352	23.2.14	1360000	200	अंकित नही
2	280281	2.3.14	1870000		
कुल			**3230000**		

बिहार सरकार वित्त विभाग के संकल्प सं0 4/05/2009/खंड–8672/वि0/2/पटना दिनांक 11.9.2009 का पालन नहीं किया गया है जिसके अनुसार सभी नगर निकायों में विभिन्न सामग्रियों एवं सेवाओ की आपूर्ति की दर एवं गुणवत्ता में एकरूपता लाने के लिए बिहार शहरी विकास अभिकरण (BUDA) को बिहार वित्त संशोधन नियमावली 2005 के नियम 129 के अंतर्गत राज्य के विभिन्न नगर निकायों के लिए उपयोग में आने वाली सामग्रियों एवं सेवाओं के दर निर्धारण एवं अधिप्राप्ति हेतु राज्य क्रय संगठन नामित किया गया है।

बिहार वित्त नियमावली की धारा 131(Q) के अनुसार किसी भी प्राइवेट संस्था को सामानो की आपूर्ति के बाद ही भुगतान किया जाना चाहिए परन्तु संचिका के अवलोकन से पता चला कि संस्था को सामानों की आपूर्ति से पहले राशि ₹1360000/–अग्रिम के रूप में दिया गया जो नियम के प्रतिकूल है जो आपूर्तिकर्त्ता को undue favour की ओर इशारा करती है।

बिहार वित्त नियमावली की धारा 131 (H) के अनुसार 25 लाख से ऊपर के सामानों की खरीदारी के लिए Advertised tender enquiry प्रक्रिया को अपनाना चाहिए, जिसका पालन नहीं किया गया। नियमांवली का पालन नहीं करने के कारण खरीदारी में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का स्पष्ट अभाव पाया गया।

प्राप्त 240 डस्टबीन भंडार पंजी में हस्तगत किए जाने के बाद सामानों का अधिष्ठापन प्रमाणपत्र न तो भंडार पंजी में और न ही संचिका में पाया गया। अर्थात् संचिका एवं भंडार पंजी में यह कहीं भी उल्लेख नहीं पाया गया कि प्राप्त 240 डस्टबीन को कहाँ–कहाँ अधिष्ठापित किया गया।

कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि अंकेक्षण के सुझाव को ध्यान में रखकर सुधार किया जायेगा। जवाब मान्य नहीं है क्योंकि बिहार सरकार एवं इसके अधिनस्थ संस्थाओं में सामानो की खरीदारी बिहार वित्त नियमावली के अनुसार ही करना था। अतः व्यय की गयी राशि ₹2995594/– आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

नगर कार्यपालक पदाधिकारी से अनुरोध है कि इस दिशा में कार्यालय द्वारा की गयी कार्यवाही के फलाफल से अंकेक्षण कार्यालय को अवगत करायी जाय।

कंड़िका संख्याः–2 तेरहवीं वित्त आयोग मद की राशि का मार्गदर्शिका के विरूद्ध व्यय राशि ₹49.92 लाख

तेरहवीं वित्त आयोग कें मार्गदर्शिका के अनुसार इस मद में प्राप्त राशि को निम्नलिखित क्षेत्र में व्यय किया जाना चाहिए था।

1. कम से कम 50 प्रतिशत राशि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में।
2. पाईप जलापूर्ति व्यवस्था, रख रखाव सहित में।
3. सड़कों में प्रकाश व्यवस्था तथा पेयजल पर उपभोग किए बिजली के बिल के भुगतान ।
4. रैन बसेरा/ ओल्ड ऐज होम का निर्माण एवं रख रखाव ।

परन्तु संचिका एवं रोकड़बही के अवलोकन से पता चला कि तेरहवीं वित्त आयोग मद में प्राप्त राशि से बेलसंड नगर पंचायत में 20 योजनायें ली गयी जिसके अन्तगर्त सड़क, नाला, पी.सी.सी. कार्य एवं चापाकल गड़ाई का कार्य किया गया एवं राशि ₹4991900/– का व्यय किया गया, जो तेरहवीं वित्त आयोग की मार्गदर्शिका के विरूद्ध है।

विवरणी इस प्रकार है।

क्रम सं0	वर्ष	ली गयी योजनाओं की संख्या	राशि
1	2012–13	17	1862300.00
2	2013–14	03	3129600.00
		20	4991900.00

कार्यालय द्वारा यह जवाब दिया गया कि बोर्ड की सहमति से राशि खर्च की गयी थी, जवाब मान्य नहीं है क्योंकि राशि को सरकार के नियमानुसार एवं सरकार की सहमति से ही खर्च किया जाना चाहिए था।

अतः नगर कार्यपालक पदाधिकारी से अनुरोध है कि विचलन की गयी राशि को संबधित मद से भरपाई की जाय एवं इस दिशा में की गई कारवाई से अंकेक्षण कार्यालय को अवगत करायी जाय। तब तक व्यय की गयी राशि ₹4991900/– अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

कंडिका संख्याः–3. अपूर्ण कार्य पर संवेदक को भुगतान की गयी राशि–₹29.77 लाख

योजना का नाम–01/2007–08

योजना का नाम– नगर पंचायत बेलसंड(सीतामढी) कार्यालय का निर्माण कार्य

प्राक्कलित राशि– ₹3850500(अधीक्षण अभियंता प्लानिंग BCD circle पटना दिनांक 02.01.2007)

पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि– ₹4968000(कार्यपालक अभियंता PWD सीतामढी दि0 21.10.2008)

कार्यादेश की तिथि–21.12.2007

कार्य समाप्ति की अवधि–छः माह के अंदर

संवेदक का नाम–(विभागीय) श्री रामनाथ ठाकुर

कार्य की स्थिति– अपूर्ण

मापी पुस्त के अनुसार व्यय राशि–₹2796975

संवेदक को भुगतान की गई राशि–₹2976522

नगर विकास विभाग के पत्र संख्या–2 यो/वि 1–21/05–1398/न0वि0वि0 दिनांक 30.03.2007 के द्वारा नगर परिषदों एवं पंचायतों में प्रशासनिक भवन के निर्माण हेतु अनुदान के रूप में राशि उपलब्ध करायी गयी थी। विभाग द्वारा ही मॉडल प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिसमें प्राक्कलित राशि ₹3850500 निर्धारित थी। प्राक्कलित राशि का 75% राशि यानि कुल ₹2887875 राशि भवन निर्माण हेतु उपलब्ध करायी गयी थी।

पत्र में यह उल्लेखा था कि योजनाओं के कार्यान्वयन का त्रैमासिक भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन सरकार को आवश्यक रूप से भेजना होगा।

नगर विकास एवं आवास विभाग के ज्ञापांक सं0 4(न)क–01/2005/862/न0वि0वि0 एवं आ0वि0/पटना दिनांक 21.02.2008 के बिन्दु(4) में स्पष्ट किया गया है कि जहाँ जरूरत हो प्रशासनिक भवन का कार्य पूर्ण करने हेतु 25% राशि संबंधित नगर निकायों को स्वयं वहन करना होगा यानि अपने आय के स्रोत से 25% व्यय कर भवन का निर्माण कार्य पूर्ण करना होगा।

नगर पंचातय बेलसंड द्वारा दिनांक 21.12.2007 को कार्यादेश निर्गत किया गया जिसके अनुसार कार्य छः माह भीतर यानि 20.06.2008 तक समाप्त हो जाना चाहिए था।

परन्तु मापी पुस्त के अवलोकन से पता चला कि अभी तक दसवाँ चलंत विपत्र की चर्चा हैं जिसके अनुसार 14.03.2015 तक मात्र ₹2796975 का कार्य सम्पन्न हो गया था एवं कार्य अभी तक अपूर्ण था। संचिका के अवलोकन से निम्न तथ्य दृष्टिगोचर हुए–

क. विभाग द्वारा मॉडल प्राक्कलन तैयार कर कार्यालय को भेजा गया था जिसमें प्राक्कलित राशि 3850500 निर्धारित थी जो अधीक्षण अभियंता एडवांस प्लानिंग BCD सर्कल पटना द्वारा तैयार किया गया था मगर

मॉडल प्राक्कलन के बावजूद पुनरीक्षित प्राक्कलन कार्यपालक अभियंता PWD सीतामढी से तैयार करवाया गया जिसका औचित्य लेखा परीक्षा में स्पष्ट नहीं किया गया।

ख. संचिका के अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि विभाग के निर्देश के अनुसार योजना के कार्यान्वयन का त्रैमासिक भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन सरकार को आवश्यक रूप से भेजना था। मगर कार्यालय द्वारा 6 वर्ष से कार्य चलते रहने के बावजूद भी सरकार को कोई भी भौतिक एवं वित्तीय प्रतिवेदन नहीं भेजा गया।

ग. कार्यालय द्वारा व्यय से संबंधित अभिश्रव लेखापरीक्षा दल को प्रस्तुत नहीं किया गया।

घ. कार्यालय द्वारा जवाब में बताया गया कि प्राक्कलन के विरूद्ध शेष राशि की माँग की गयी है जो अब तक अनुपलब्ध है। विभाग से शेष राशि का आवंटन प्राप्त होने पर अगली कार्रवाई की जायेगी। जवाब संतोषप्रद नहीं था क्योंकि मॉडल प्राक्कलन के विरूद्ध नगर परिषद् बेलसंड को विभाग द्वारा 75% राशि का आवंटन प्राप्त हो चुका था तथा विभाग के पत्र के अनुसार शेष 25 राशि स्वयं के स्रोत से व्यय करना था। विभाग के आदेश का अवहेलना करते हुए भवन निर्माण का कार्य ससमय पूरा नहीं किया गया और न ही कोई भी भौतिक एवं वित्तीय प्रतिवेदन विभाग को भेजा गया। 6 माह में पूर्ण होने वाला कार्य 6 वर्ष के बावजूद भी पूर्ण नहीं हुआ। अगर पूर्व के प्राक्कलन पर कार्य पूर्ण किया जाता है तो निश्चित ही कार्य की गुणवत्ता प्रभावित होगी या फिर पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार कर अधिक राशि निर्धारित कर कार्य संपन्न कराया जाता है तो कार्य पूर्ण करने में शिथिलता बरतने के कारण सरकार को भवन निर्माण में अधिक राशि व्यय करनी पड़ेगी।

अंकेक्षण दल को अंकेक्षण की समाप्ति तक मॉडल प्राक्कलन का पुनरीक्षित प्राक्कलन बनाने के कारण से अवगत नहीं कराया गया।

अतः स्पष्ट जवाब प्राप्त होने तक व्यय की गयी राशि ₹2976522/– अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

कंड़िका संख्याः– 4. अधिक भुगतान (₹1.56 लाख)

मद का नाम	:–	बी.आर.जी.एफ
योजना का नाम	:–	वार्ड सं0 13 में भविछन भगत के मकान से अरूण कुमार सिंह के मकान तक पी.सी.सी. ढलाई का कार्य।
योजना सं0	:–	02/10–11
प्राक्कलित राशि	:–	₹432000/–
कार्यादेश की तिथि एवं पत्र सं0	:–	अंकित नहीं/11.10.11
कार्यादेश के अनुसार कार्य प्रारम्भ एवं समाप्ति की तिथि	:–	प्रारम्भ– 11.10.11 समाप्ति–10.1.12
मापी पुस्त के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि	:–	15.10.11
संवेदक का नाम	:–	कृष्णनन्दन झा

मापी पुस्त विवरणी

क्रम सं0	विवरणी	राशि	तिथि
1.	प्रथम चलता लेखा बिल	426029/–	15.10.11

भुगतान विवरणीः–

क्रम सं0	चेक सं0	तिथि	राशि	कटौती	अन्तिम भुगतान
1.	341791	28.11.11	426028/–	90872/–	335156/–

अंकेक्षण आपत्तिः–

माईन्स एवं मिनिरल नियंम, 1972 के आलोक में मुख्य सचिव के सर्कुलर न0 1/ESH-108/81-462 के पारा 16 के भाग 2 दिनांक 30.03.82 एवं सरकार के पत्र स0 585 दिनांक 21.03.2007 (माईन्स एवं मिनिरल विभाग) के अनुसार साम्रगी के ढुलाई पर भुगतान तभी सम्भव है जब संवेदक द्वारा चलंत बिल के साथ 'एम' एवं 'एन' फार्म जमा किया जाता है। आगे संचिका के अवलोकन से पता चला कि उपर्युक्त नियमानुसार संचिका में 'एम' एवं 'एन' फार्म न तो संलग्न पाया गया और न हीं कार्यालय द्वारा योजना का अंतिम भुगतान करते समय संवेदक से ऐसी कोई राशि की कटौती की गयी। फलस्वरूप संवेदक को राशि ₹156281/–(सोन बालू–48273 एवं स्टोन चिप्स– 108008) का अधिक भुगतान हुआ।

कार्यालय द्वारा यह जवाब दिया गया कि जानकारी के अभाव में राशि की कटौती नहीं की गयी थी, अतः भविष्य में अंवेक्षण के सुझाव को मानते हुए भविष्य में कटौती की जायेगी। जवाब मान्य नहीं है क्योंकि माईन्स एवं मिनिरल निगम का अधिनियम 1982 से ही लागु है, अतः अधिक भुगतान की गयी राशि ₹156281/–संबधित व्यक्तियों से वसूलनीय है।

नगर कार्यपालक पदाधिकारी से अनुरोध है कि वसूली सुनिश्चित की जाय एवं कार्यालय द्वारा की गयी कार्यवाही के फलाफल से अंकेक्षण कार्यालय को अवगत करायी जाय।

कंड़िका संख्याः–5. निरस्त

कंड़िका संख्याः–6. अधिक भुगतान (₹0.96 लाख)

मद का नाम	:–	बी.आर.जी.एफ
योजना का नाम	:–	वार्ड सं0 1 में कोटी चौक के निकट यात्री विश्रामालय एवं दो शौचालय सहित निर्माण कार्य।
योजना सं0	:–	03/10–11
प्राक्कलित राशि	:–	₹410595/–
कार्यादेश की तिथि एवं पत्र सं0	:–	88/11.02.11
कार्यादेश के अनुसार कार्य प्रारम्भ एवं समाप्ति की तिथि	:–	प्रारम्भ– 11.02.11 समाप्ति–15.4.11
मापी पुस्त के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि	:–	01.12.12
संवेदक का नाम	:–	श्री मनोज कुमार सिंह

मापी पुस्त विवरणी

क्रम सं0	विवरणी	राशि	तिथि
1.	प्रथम एवं अन्तिम चलता लेखा बिल	232618/–	10.10.12
2.	द्वितीय चलता लेखा बिल	157601/–	10.11.12
3.	तृतीय चलता लेखा बिल	21272/–	1.12.12
	कुल	411491/–	

भुगतान विवरणीः–

क्रम सं0	चेक सं0	तिथि	राशि	कंटौती	अन्तिम भुगतान
1.	403176	19.10.12	232618/–		210000/–

2.	403177	26.12.12	177977/–		160000/–
3.	403178	4.1.13			12674/–
			410595/–	27921/–	382674/–

अंकेक्षण आपत्तिः–

माईन्स एवं मिनिरल नियम 1972 के आलोक में मुख्य सचिव के सर्कुलर न0 1/ESH-108/81-462 के पारा 16 के भाग 2 दिनांक 30.03.82 एवं सरकार के पत्र स0 585 दिनांक 21.03.2007 (माईन्स एवं मिनिरल विभाग) के अनुसार साम्रगी के ढुलाई पर भुगतान तभी सम्भव है जब संवेदक द्वारा चलंत बिल के साथ 'एम' एवं 'एन' फार्म जमा किया जाता है। आगे संचिका के अवलोकन से पता चला कि उपर्युक्त नियमानुसार संचिका में 'एम' एवं 'एन' फार्म न तो संलग्न पाया गया और न हीं कार्यालय द्वारा योजना का अंतिम भुगतान करते समय संवेदक से ऐसी कोई राशि की कटौती की गयी। अतः संवेदक को राशि ₹55132/–(सोन बालू–24364 एवं स्टोन चिप्स– 30768) का अधिक भुगतान हुआ।

बिहार लोक निर्माण विभाग के फार्म संख्या–F-2 के संवेदक की शर्त सं0 2 के अनुसार कार्य नियत समय पर समाप्त नहीं होने पर प्रति दिन 1/2 प्रतिशत अधिकतम 10 प्रतिशत की राशि समर्पित कुल विपत्र से कटौती करके ही संवेदक को अन्तिम भुगतान करना था परन्तु संचिका के अवलोकन से पता चला कि कार्य समय पर समाप्त नहीं होने की स्थिति में संवेदक द्वारा न तो अवधि विस्तार के लिए आवेदन दिया गया और न ही अंतिम भुगतान के पहले कार्यालय द्वारा संवेदक से उपर्युक्त नियमानुसार राशि की कटौती नहीं की गयी। फ़लस्वरूप राशि ₹41060/– का अधिक भुगतान संवेदक को किया गया।

कार्यालय द्वारा यह जवाब दिया गया कि जानकारी के अभाव में राशि की कटौती नहीं की गयी थी, अतः भविष्य में अंकेक्षण के सुझाव को मानते हुए कटौती की जायेगी। जवाब मान्य नहीं है क्योंकि माईन्स एवं मिनिरल निगम का अधिनियम 1982 से ही लागु है, अतः अधिक भुगतान की गयी राशि ₹96192/–संबधित व्यक्तियों से वसूलनीय है।

नगर कार्यपालक पदाधिकारी से अनुरोध है कि इस दिशा वसूली सुनिश्चित की जाय एवं कार्यालय द्वारा की गयी कार्यवाही के फलाफल से अंकेक्षण कार्यालय को अवगत कराया जाय।

कंड़िका संख्याः–7. तेरहवीं एवं असंबद्ध अनुदान से सामानों की खरीद में वित्तीय नियमों का पालन नहीं किया जाना

बेलसंड़ नगर पंचायत में सामान्य बोर्ड की बैठक दिनांक 8.12.12 को हुई जिसके प्रस्ताव संख्या 07 में तेरहवीं वित्त आयोग एवं असंबद्ध अनुदान से नगर पंचायत के लिए निम्नलिखित समानों को खरीदने का निर्णय लिया गया।

क्रम सं0	सामानों का नाम
1	कुड़ादान
2	हाथ कुड़ा गाड़ी
3	फॉगिंग मशीन
4	नाला मैन
5	साइलेंट जनरेटर
6	सोडियम भेपर लाइट

तत्पश्चात् स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण में दिनांक 1.2.13 को निविदा सं0 03/12–13 प्रकाशित की गयी। निविदा के आलोक में 10 निविदादाताओं ने निविदा डाली। दिनांक 09.2.13 तकनीकी बीड खोली गयी एवं 13.2.13 को वित्तिय बीड खोली गयी एवं तुलनात्मक विवरणी के आधार पर निम्न निविदादाता रीता श्री इन्टरप्राईजेज पटना एवं रियाबुल इन्टरप्राईजेज का चयन किया गया एवं विभिन्न आपूर्ति आदेश संख्या द्वारा आपूर्ति आदेश निर्गत किया गया।

क्रम सं0	सामानों का नाम	आपूर्ति आदेश संख्या	संख्या	आपूर्ति कर्त्ता का नाम
1	कूड़ादान 630 लीटर	46/13.2.13	40	रिलायबुल इन्टरप्राईजेज
2	हाथ कूड़ा गाड़ी 250 ली.		05	
3	फागिंग मशीन	45/13.2.13	01	रिता श्री इन्टरप्राईजेज
4	साइलेंट जनरेटर	185/16.5.13	01	
5	सोडियम भेपर लाइट	45/13.2.13 (37) एवं 185/16.5.13 (13)	50	
6	नाला मैन			

निविदा खोलने के समय आपूर्तिकर्त्ता के सदस्य, सशक्त स्थायी समिति के सदस्य एवं कार्यपालक पदाधिकारी उपस्थित थे। कोई तकनीकी व्यक्ति उपस्थित नहीं थे। चयनित आपूर्तिकर्ता द्वारा सामानों की आपूर्ति की गंयी एवं राशि का भुगतान किया गया।

विवरणी इस प्रकार है।

क्रम सं0	चेक सं0	तिथि	राशि	आयकर 1 प्रतिशत	वैट 5 प्रतिशत	सुरक्षित जमा 5 प्रतिशत	अन्तिम भुगतान	अभिश्रव सं0	समान का नाम	संख्या
1	280228	19.2.13	1589000	—	—	79485	1509515	अंकित नहीं	कुड़ा दान	40
2	064349	29.11.13	84500	—	—	4225	80275	अंकित नहीं	हाथ ठेला	05
3	280229	19.2.13	862000	—	—	43100	818900	अंकित नहीं	फागिंग मशीन	01
4.	064350	22.1.14	520000	—	—	26000	494000	अंकित नहीं	जेनरेटर	01
5	280226 , 280254	19.2.13, 24.8.13	510000	—	—	25500	484500	अंकित नहीं	सोडियम भेपर लाइट	50
6.	064341	22.8.13	70800				70800	अंकित नहीं	फागिंग मशीन केमिकल	40 लीटर
			3636300			178310	3457990			

बिहार सरकार वित्त विभाग के संकल्प सं0 4/05/2009/खंड–8672/वि0/2/पटना दिनांक 11.9.2009 का पालन नहों किया गया जिसके अनुसार सभी नगर निकायों में विभिन्न सामग्रियों एवं सेवाओ की आपूर्ति की दर एवं गुणवत्ता में एकरूपता लाने के लिए बिहार शहरी विकास अभिकरण (BUDA) को बिहार वित्त संशोधन नियमावली 2005 के नियम 129 के अतंगर्त राज्य के विभिन्न नगर निकायों के लिए उपयोग में आने वाली सामग्रियों एवं सेवाओं के दर निर्धारण एवं अधिप्राप्ति हेतु राज्य क्रय संगठन नामित किया गया है।

बिहार वित्त नियमावली की धारा 131 (H) के अनुसार 25 लाख से उपर के सामानों की खरीदारी के लिए Advertised tender enquiry प्रक्रिया को अपनाना चाहिए, जिसका पालन नहीं किया गया। नियमावली का पालन नहीं करने के कारण खरीदारी में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का स्पष्ट अभाव पाया गया। प्राप्त सामानों को भंडार पंजी में हस्तगत किए जाने के बाद सामानों का अधिष्ठापन प्रमाणपत्र न तो भंडार पंजी में और न ही संचिका में पाया गया। अर्थात् संचिका एवं भंडार पंजी में यह कहीं भी उल्लेख नहीं पाया गया कि प्राप्त सामानों को कहाँ–कहाँ अधिष्ठापित किया गया।
कार्यालय द्वारा यह जवाब दिया गया कि जानकारी के अभाव में खरीद की प्रकिया में कमी हुई है जिसे भविष्य में अंकेक्षण के सुझाव को ध्यान में रखकर सुधार किया जायेगा। जवाब मान्य नहीं है क्योंकि सामानों की खरीदारी बिहार वित्त नियमावली के अनुसार ही करना था। अतः व्यय की गयी राशि ₹3457990/– आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

नगर कार्यपालक पदाधिकारी से अनुरोध है कि इस दिशा में कार्यालय द्वारा की गयी कार्यवाही के फलाफल से अंकेक्षण कार्यालय को अवगत करायी जाय।

कंड़िका संख्याः–8. वैट की राशि की कटौती नहीं करने से अधिक भुगतान (राशि–₹614648)

बिहार वैट अधिनियम की धारा 40(1) एवं 29 के अनुसार सामानों की राशि का अंतिम भुगतान करते समय वैट की राशि नियमानुसार कटौती करके ही अंतिम भुगतान करना चाहिए, एवं काटी गई राशि को कार्यालय द्वारा संबधित शीर्ष में जमा करनी चाहिए, परन्तु नगर पंचायत बेलसंड में विभिन्न सामानों की खरीदारी से संबधित संचिकाओं के अवलोकन से यह पता चला कि वैट की राशि की कटौती नहीं की गयी एवं आपूर्तिकर्त्ताओं को अंतिम भुगतान कर दिया गया। फलस्वरूप राशि ₹614618/– का अधिक भुगतान किया गया।
विवरणी इस प्रकार है।

क्रम सं0	समान	वैट सहित राशि	वैट की दर प्रतिशत में	वैट की राशि	कटौती की गयी राशि	अन्तर	दुकान का नाम
1.	व्हील बेस डस्टबीन	3400000.00	13.5	404405.00	शून्य	404405.00	रीता श्री इन्टरप्राईजेज पटना

2.	कूड़ा दान	1589000.00	5	75666.00	शून्य	75666.00	मेंo रिलायबुल इन्टरप्राइजेज
3.	हाथ ठेला	84500.00	5	4023.00	शून्य	4023.00	
4.	फागिंग मशीन	862000.00	5	41047.00	शून्य	41047.00	रीता श्री इन्टरप्राईजेज पटना
5.	जेनरेटर	520000.00	13.5	61850.00	शून्य	61850.00	
6.	सोडियम भेपर लाइट	510000.00	5	24286.00	शून्य	24286.00	
7	फागिंग मशीन का केमिकल	70800.00	5	3371.00	शून्य	3371.00	
						614648.00	

अंकेक्षण की समाप्ति तक नगर पंचायत बेलसंड कार्यालय द्वारा उठाये गये आपत्ति पर कोई जवाब नहीं दिया गया, स्पष्ट जवाब नहीं दिये जाने तक अधिक भुगतान की गयी राशि ₹614648/– संबधित व्यक्तियों से वसूलनीय है।

नगर कार्यपालक पदाधिकारी से अनुरोध है कि इस दिशा में कार्यालय द्वारा की गयी कार्यवाही के फलाफल से अंकेक्षण कार्यालय को अवगत करायी जाय।

कंड़िका संख्याः–9. निरस्त

कंड़िका संख्याः–10. निरस्त

कंडिका–11. सरकारी भवनों पर बकाया मकान कर–₹7.42 लाख

नगर पंचायत बेलसंड द्वारा सरकारी मकान कर से संबंधित माँग एवं बकाया पंजी अंकेक्षण हेतु उपलब्ध नहीं करायी गयी। हालाँकि उपलब्ध कराये गए विवरणी से स्पष्ट प्रतीत होता हैं कि 31.03.2014 तक कुल बकाया वसूली ₹742311 थी।(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट III पर संलग्न)

यहाँ यह बताना जरूरी है कि सरकारी भवनों पर वर्ष 2001 से ही किराया बाकी था मगर कार्यालय द्वारा वसूली हेतु प्रयास नहीं किया गया।

उपर्युक्त विवरणी से स्पष्ट है कि इन सरकारी भवनों से कभी भी कर वसूली नहीं की गयी और न ही वसूली हेतु प्रयास किया गया जो कार्यालय के कार्यों के प्रति उदासीनता को दर्शाता है।

कार्यालय द्वारा यह जवाब दिया गया कि बकाया राशि की वसूली की कार्रवाई कर अंकेक्षण कार्यालय को सूचित किया जायेगा।

अतः कार्यपालक पदाधिकारी से यह अनुरोध है कि बकाये राशि ₹742311 की वसूली हेतु प्रयास किए जाए एवं फलाफल से अंकेक्षण कार्यालय को अवगत करायी जाय।

कंडिका–12. होल्डिंग टैक्स की बकाया राशि–₹53.66 लाख

कार्यालय नगर पंचायत बेलसंड(सीतामढी) द्वारा मकान कर से संबंधित माँग एवं वसूली पंजी का संधारण नहीं किया गया था। हालांकि उपलब्ध कराये गये विवरणी से स्पष्ट हुआ कि करदाताओं से केवल मकान कर लिया जाता था। मकान कर के साथ शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर करदाताओं से नहीं लिया गया। करदाताओं को फायदा पहुँचाया गया वहीं दूसरी तरफ सरकार को भारी वित्तीय हानि हुई। कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गए होल्डिंग टैक्स वसूली से संबधित विवरणी के जाँच के क्रम में पाया गया कि वर्ष 2013–14 में होल्डिंग टैक्स के रूप में ₹5366332/–वसूली हेतु बकाया थी। विवरणी निम्न है :–

क्र0सं0	वर्ष	पूर्व का बकाया	इस वर्ष की बकाया राशि	कुल वसूलनीय राशि	वर्ष के दौरान वसूली	बकाया राशि	वसूली की प्रतिशत
01	2008-09	1542996	397480	1940476	125380	1815096	6.47%
02	2009-10	1815096	862724	2677820	105628	2572192	3.94%
03	2010-11	2572192	862724	3434916	86224	3348692	2.51%
04	2011-12	3348692	862724	4211416	175532	4035884	4.17%
05	2012-13	4035884	862724	4898608	185000	4713608	3.78%
06	2013-14	4713608	852724	5576332	210000	5366332	3.76%

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट IV पर संलग्न)

उपर्युक्त विवरणी से स्पष्ट है कि वसूली का प्रतिशत बहुत कम है। वसूली का प्रतिशत कम होना कार्यालय के अधिकारी एवं कर्मियों के कार्य के प्रति उदासीनता को दर्शाता है।

इससे स्पष्ट प्रतीत होता हैं कि कार्यालय द्वारा वसूली हेतु कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया।

कार्यालय द्वारा यह जवाब दिया गया कि बकाया राशि की वसूली की कार्रवाई कर अंकेक्षण कार्यालय को सूचित किया जायगाा।

अतः कार्यपालक पदाधिकारी से अनुरोध है कि गृह कर की वसूली की दिशा में आवश्यक एवं प्रभावी कदम उठाए जाए एवं फलाफल से लेखा परीक्षा को अवगत करायी जाय।

कंडिका–13. संचार(मोबाईल) टावरों का अनाधिकृत अधिष्ठापन एवं पंजीकरण शुल्क एवं नवीकरण शुल्क बकाया(₹5.52 लाख)

बिहार सरकार द्वारा संचार (मोबाईल) टावरों एवं संबंधित संरचना पर करों के संबंध में बिहार संचार मीनार एवं संबंधित संरचना नियमावली, 2012 दिनांक 08.10.2012 को अधिसूचित किया गया है। उपर्युक्त नियमावली के नियम 6(1) के अनुसार नगर परिषद् में पंजीकरण शुल्क राशि ₹ 30,000.00 प्रति टावर एवं नवीकरण शुल्क की राशि ₹ 8,000.00 प्रतिवर्ष निर्धारित है। नियम 6(2) के अनुसार उपर्युक्त नियमावली के प्रभावी होने के पूर्व के स्थापित टावरों को उपवर्गित पंजीकरण शुल्क जमा करना होगा नवीकरण शुल्क टावर स्थापित करने के समय से पूर्ण वर्षो के संख्या के आधार पर लिया जायेगा। नियम 6(4) के अनुसार प्रत्येक अतिरिक्त एंटिना पर 60 प्रतिशत की दर से पंजीकरण शुल्क तथा नवीकरण शुल्क अतिरिक्त रूप से लगाया जायेगा। नियम 6(8) के अनुसार पंजीकरण शुल्क एवं नवीकरण शुल्क के बिना तथा नगरपालिका के अनुमति के बगैर कोई भी संचार टावर स्थापित नहीं किया जायेगा तथा ऐसी अनुमति के बिना स्थापित सभी टावर अवैध माने जायेंगे।

अंकेक्षण के क्रम में यह पता चला कि कार्यालय नगर पंचायत बेलसंड द्वारा स्थापित टावरों से संबंधित माँग एवं वसूली पंजी का संधारण नहीं किया गया था, हालाँकि कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गए विवरणी के अवलोकन से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि विभिन्न मोबाईल टावर कम्पनियों पर कुल ₹552000/– का बकाया थी। (विस्तृत विवरणी परिशिष्ट V पर संलग्न)

कार्यालय द्वारा यह जवाब दिया गया कि बकाया राशि की वसूली की कार्रवाई शुरू की जायेगी तथा अंकेक्षण कार्यालय को सूचित किया जायेगा।

अतः कार्यपालक पदाधिकारी से अनुरोध है कि विभिन्न मोबाईल कम्पनी के पास बकाया राशि ₹552000/– की वसूली की दिशा में आवश्यक एवं प्रभावी कदम उठाये जाये एवं फलाफल से लेखा परीक्षा कार्यालय को सूचित किया जाय।

कंडिका–14 असमायोजित अग्रिम(राशि–₹2.58 लाख)

बिहार कोषागार संहिता के नियम 609(ब) के तहत प्रावधान है कि किसी व्यक्ति को पूर्व की अग्रिमों के समायोजन/वसूली के बाद परवर्ती अग्रिम दिया जाना चाहिए तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अविलम्ब वसूली/समायोजन का सफल प्रयास किया जाना चाहिए, परंतु नगर पंचायत बेलसंड(सीतामढी) के रोकड़ बही के जाँच के क्रम में पाया गया कि दिनांक 31.03.14 तक ₹257849/– समायोजन हेतु लंबित पड़ा था। (विस्तृत विवरणी परिशिष्ट VI पर संलग्न)

कार्यालय द्वारा यह जवाब दिया गया कि अभिश्रव समर्पित कर सामंजन करते हुए कार्यालय को सूचित किया जायेगा।

अतः कार्यपालक पदाधिकारी से अनुरोध है कि इस दिशा में आवश्यक एवं प्रभावी कदम उठाये जाये एवं फलाफल से लेखा परीक्षा कार्यालय को सूचित किया जाय।

कंडिका–15. नहीं जमा/ कम जमा

बिहार नगरपालिका लेखा अधिनियम की धारा 15,20,22 एवं 73–4 में यह प्रावधान है कि नगर निकाय के लिए विभिन्न मनी रसीदो एवं एच रसीदो से प्राप्त राशि नगर निकाय निधि में उसी दिन या अगले कार्य दिवस को जमा कर देना सुनिश्चित किया जाना चाहिए, प्राप्त राशि का किसी दूसरे मद में खर्च नहीं किया जाना चाहिए, परन्तु नगर पंचायत बेलसंड(सीतामढी) के अंकेक्षण के दौरान विभिन्न मनी रसीदो एवं होलडिग रसीदो की जांच मे पाया गया कि कार्यालय कर्मियों द्वारा विभिन्न रसीदों के माध्यम से राशि ₹90887/– प्राप्त की गयी, जो अंकेक्षण की समाप्ति तक जमा नहीं की गयी। (विवरणी परिशिष्ट VII पर संलग्न)

कार्यालय द्वारा जवाब में यह कहा गया कि नहीं जमा की गयी राशि संबधित व्यक्तियों से वसूल कर सरकारी कोष में जमा की जायेगा।

अतः कार्यपालक पदाधिकारी से यह अनुरोध है कि नहीं जमा की गयी राशि ₹90887/– संबधित व्यक्यिों से वसूल की जाय एवं फलाफल से अंकेक्षंण कार्यालय को अवगत करायी जाय।

भाग –III (TAN)

कंड़िका संख्याः–1 सरकारी अनुदान

सरकार अथवा अन्य स्रोतों से प्राप्त होने वाले अनुदानों का संधारण अनुदान पंजी में किया जाना है तथा इसमें अनुदानवार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ का पूर्व शेष, वर्ष के दौरान प्राप्त होने वाला अनुदान, वर्ष के दौरान किये गये व्यय तथा वर्ष के अन्तशेष को दर्ज किया जाना है। इसको बिहार नगरपालिका नियमावली, 1928 के नियम–141 के प्रारूप में संधारित करना है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत बेलसंड

में अनुदान पंजी संधारित नहीं था। इसके अभाव में ज्ञात नहीं हो सका कि वित्तीय वर्ष 2008–09 के प्रारंभ में किस अनुदान का पूर्व शेष क्या था तथा कौन से अनुदान कितने वर्षों से अनुपयोगी पड़े हुये थे।

हालाँकि प्रस्तुत विभिन्न रोकड़बहीयों के अवलोकन से यह पता चला कि बेलसंड नगर पंचायत को वर्ष 2008–09 से 2013–14 की अवधि में राशि ₹118390649/–प्राप्त हुई।(विवरणी परिशिष्ट VIII पर संलग्न)

अनुदान पंजी के अभाव में यह ज्ञात नहीं किया जा सका कि इन अनुदानों का उपयोग उन्हीं प्रयोजनों के लिए किया गया अथवा नहीं जिन प्रयोजनों के लिए ये अनुदान सरकार से प्राप्त हुए थे, साथ ही, यह भी नहीं ज्ञात किया जा सका कि प्राप्त अनुदानों के विरूद्ध कितने राशी का उपयोग किया गया तथा वर्ष के अंत में कितनी राशि अनुपयोगी पड़ी रही।

कार्यालय द्वारा यह जवाब दिया गया कि अंकेक्षण के सुझावों को मानकर आगे सुधार किया जायेगा।

अतः नगर कार्यपालक पदाधिकारी से अनुरोध है कि अनुदान पंजी का संधारण उपर्युक्त नियमानुसार कर अगले अंकेक्षण के समक्ष आवश्यक जांच हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

कंड़िका संख्याः–2. परिसम्पत्ति पंजी का संधारण नहीं

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 105 में यह प्रावधान किया गया है कि–

(1) सशक्त स्थायी समिति, नगरपालिका की समस्त अचल सम्पत्तियों जिसका नगरपालिका स्वामी है या वह उसमें निहित है अथवा जो उसे सरकार के न्यास के रूप में प्राप्त है के विवरणों की एक पंजी तथा एक मानचित्र रखेगी तथा नगरपालिका की समस्त चल सम्पत्तियों की पंजी भी समिति के अधीन रहेगी।

(2) किसी अचल सम्पत्ति की तालिका के मामले में सशक्त स्थायी समिति एक वार्षिक विवरण तैयार करेगी जिसमें कथित तालिका में यदि कोई परिवर्तन हुआ है तो उसे चिन्हित करेगी तथा उसे बजट–प्राक्कलन के साथ नगरपालिका के समक्ष प्रस्तुत करेगी।"

बेलसंड नगर पंचायत द्वारा परिसम्पत्ति पंजी को अंकेक्षण के समक्ष उपलब्ध नहीं कराया गया। जिस कारण यह पता नहीं चल सका कि नगर पंचायत द्वारा परिसम्पति पंजी का संधारण किया जा रहा था या नहीं साथ ही साथ यह भी पता नहीं चल सका कि परिसम्पत्तियों से कार्यालय को कितनी आय प्राप्त हो रही थी।

कार्यालय द्वारा यह जवाब दिया गया कि भविष्य में पंजी का संधारण अंकेक्षण के अनुरूप किया जायेगा और अगले अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

अतः नगर कार्यपालक पदाधिकारी से यह अनुरोध है कि परिसम्पति पंजी का संधारण कर अगले अंकेक्षण दल के समक्ष आवश्यक जाँच हेतु उपलब्ध करायी जाय।

कंड़िका संख्याः– 3. नगरपालिका लेखा समिति द्वारा क्रियान्वित कार्य

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 98 में नगरपालिका लेखा समिति का गठन करने का प्रावधान किया गया है। परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक यह स्पष्ट नहीं किया गया कि :–